



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 066/2014/स्कूल बो./02/934

अधिसूचना

तिथि : 02.06.2017

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड का गठन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 066/2014/अ.म./02/383 दिनांक 22.05.2015 द्वारा किया गया जिसका कार्यकाल दिनांक 21.05.2017 को समाप्त हो गया है।

पी-एच.डी. अध्यादेश के अनुच्छेद 12 के अनुसार शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड (School Board) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1. संकायाध्यक्ष	: अध्यक्ष
2. विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष	: विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
3. विद्यापीठ के सभी प्रोफेसर	: सदस्य
4. विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों से एक एसोशिएट प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	: डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर शिक्षा विभाग
5. विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों से एक सहायक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	: श्री ऋषभ कुमार मिश्र शिक्षा विभाग
6. कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी	: श्री महेश तिवारी (मनोविज्ञान विभाग)
7. कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	: प्रो. नमिता रंगनाथन शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली : प्रो. चन्द्र भूषण शर्मा अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोयडा-201309 (उ.प्र.)

* विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र.66/2014/स्कूल बो./02/175, दिनांक 21.03.2016 के अनुसार कार्यकाल 20.03.18 तक।

पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों (क्रम संख्या 06 और 07) का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थित से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ को संबंधित सभी को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. अकादमिक विभाग।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)